


विहार सरकार  
स्वास्थ्य एवं प०क० विभाग

पटना, दिनांक 18 / 12 / 2006

अधिसूचना

- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 855(3) स्वा०, डा० अरुन्धति, सिविल सर्जन,  
प० चम्पारण को निदेशक, राजगीर फ़िल्ड डेमोट्रेशन के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान  
की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 856(3) स्वा०, डा० श्रीकृष्ण चन्द्र सिंह,  
सिविल सर्जन, वैशाली को क्षेत्रीय नलोरिया पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पद पर अपने ही वेतनमान  
में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 857(3) स्वा०, डा० चन्द्र भूषण प्रसाद सिंह,  
सिविल सर्जन, पटना को निदेशक, यक्ष्मा प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केन्द्र, पटना के पद पर अपने ही  
वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 858(3) स्वा०, डा० विश्वनाथ प्रसाद, अपर  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भागलपुर को प्राचार्य, स्वास्थ्य एवं प०क० प्रशिक्षण केन्द्र, भागलपुर के  
पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 859(3) स्वा०, डा० वेद भानुदेव प्रसाद, अपर  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, दरभंगा को सिविल सर्जन, लखीसराय के पद पर अपने ही वेतनमान में  
योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 860(3) स्वा०, डा० पुरुषोत्तम प्रसाद सिंह,  
सिविल सर्जन, जहानाबाद को सिविल सर्जन, बेतिया, प० चम्पारण के पद पर अपने ही वेतनमान  
में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 861(3) स्वा०, डा० अजय प्रताप, जिला  
प्रतिरक्षण पदाधिकारी, जहानाबाद को सिविल सर्जन, जहानाबाद के पद पर अपने ही वेतनमान में  
योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 862(3) स्वा०, डा० गणेश कुमार श्रीवास्तव,  
सिविल सर्जन, लखीसराय को सिविल सर्जन, वैशाली, हाजीपुर के पद पर अपने ही वेतनमान में  
योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 863(3) स्वा०, डा० प्रणव कुमार, सिविल  
सर्जन, दरभंगा को सिविल सर्जन, पटना के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से  
पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 864(3) स्वा०, डा० (श्रीमती) नयनतारा, अपर  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, सारण को सिविल सर्जन, गया के पद पर अपने ही वेतनमान में  
योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।
- संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 865(3) स्वा०, डा० जर्नादन प्रसाद सिंह, अपर  
मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, नवादा को सिविल सर्जन, सहरसा के पद पर अपने ही वेतनमान में  
योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।



सचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 866(3) स्वा०, डा० नरेंद्र नाथ शर्मा, सिविल सर्जन, मुंगेर को सिविल सर्जन, दरभंगा के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।


सचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 867(3) स्वा०, डा० उदय चन्द्र मिश्र, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज को सिविल सर्जन, अरवल के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।

सचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 868(3) स्वा०, डा० भोला प्रसाद सिन्हा, सिविल सर्जन, अरवल को सिविल सर्जन, मुंगेर के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।

सचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 869(3) स्वा०, डा० योगेंद्र प्रसाद रजक, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधुबनी को अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, गोपालगंज के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।

स्थानान्तरित/ पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से तीन दिनों के अन्दर निश्चित रूप से नये स्थान पर योगदान कर लेंगे । यह भी निदेश दिया जाता है कि नये स्थान पर प्रभार नहीं मिलने की स्थिति में बिना प्रतीक्षा किए स्वतः प्रभार ग्रहण कर लेंगे । नये पदाधिकारी के प्रभार ग्रहण करते ही पूर्व से पदस्थापित पदाधिकारी स्वतः विरमित समझे जायेंगे ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

  
(उदय कुमार)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - 855(3) से 869(3) तक

पटना, दिनांक 18/12/2006

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/ वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राज्य के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।


प्रतिलिपि - सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/ सभी सिविल सर्जन/ सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं प०क० के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ निदेशक प्रमुख के आप्त सचिव/ अवर सचिव के निजी सहायक/ सभी उप निदेशक (मुख्यालय) विभाग के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - उप महानिरीक्षक (अभियोजन), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

  
सरकार के अवर सचिव

बिहार सरकार  
स्वास्थ्य एवं प0क0 विभाग

पटना, दिनांक 18 / 12 / 2006

अधिसूचना

संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 853(3) स्वा0, डा0 रत्नेश्वर प्रसाद सिंह, पदस्थापन की प्रतीक्षा में को जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, भागलपुर के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।

संचिका संख्या-3/टी-5-02/06- 854(3) स्वा0, डा0 शिव कुमार, पदस्थापन की प्रतीक्षा में को जिला यक्ष्मा पदाधिकारी, औरंगाबाद के पद पर अपने ही वेतनमान में योगदान की तिथि से पदस्थापित किया जाता है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(उदय कुमार)  
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक - 853(3) व 854(3) पटना, दिनांक 18/12/06

प्रतिलिपि - महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ वित्त (बै0दा0नि0को0) विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार राज्य के अगले अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक/ सभी सिविल सर्जन/ सभी अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - माननीय मंत्री, स्वास्थ्य एवं प0क0 के आप्त सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य के सचिव/ निदेशक प्रमुख के आप्त सचिव/ अवर सचिव के निजी सहायक/ सभी उप निदेशक (मुख्यालय) विभाग के सभी पदाधिकारी/ सभी प्रशाखा पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - उप महानिरीक्षक (अभियोजन), बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि - सभी संबंधित स्थानान्तरित/पदस्थापित पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

(उदय कुमार)  
सरकार के अवर सचिव